उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–942 / छः–पु0–9–23–13(2) / 2014
लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2023

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संचालित खान निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा–2022 के लिये उत्तर प्रदेश, के जनपद प्रयागराज में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800, ग्रेड पे 4600 या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकरियों को दिनॉक 19.03.2023 के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियॉ प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे अपने जिले की सीमा के भीतर कर सकेंगे, जिसमे वे तत्समय तैनात है।

(डा0 बी0डी0 पॉल्सन)
सचिव।

संख्या–942(1) / छः–पु0–9–2023 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश प्रयागराज को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(सभापति बिन्द)
अनु सचिव।

संख्या–942(2) / छः–पु0–9–2023 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) पुलिस आयुक्त प्रयागराज
(4) जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(6) गोपन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(7) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को ऑनलाइन निर्गमन हेतु।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(सभापति बिन्द)
अनु सचिव।